न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 893/2024

अनवान : –

1– सोहनलाल पुत्र किशन लाल जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु।

2– हेतराम पुत्र रामेश्वर लाल जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु।

–– वादीगण

बनाम

1– आत्माराम पुत्र किशन लाल जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु ।

2– धर्मपाल पुत्र रामेश्वर लाल जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु।

3– ओमद पुत्र रामेश्वर जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु ।

4– बनवारीलाल पुत्र गणेशाराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु ।

5– भागाराम पुत्र गणेशाराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु।

6– जगदीश पुत्र चेत राम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ़।

7– बालाराम पुत्र गोरूराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ़।

8– पालाराम पुत्र गोरूराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ़।

9– राजोदेवी पुत्री गणेशाराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु ।

10– रामरतन पुत्र उमा पुत्री गणेशाराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु ।

11– भैराराम पुत्र उमा पुत्री गणेशाराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु ।

12– सोहनलाल पुत्र उमा पुत्री गणेशाराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु।

13– रामस्वरूप पुत्र उमा पुत्री गणेशाराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु।

14– सावत्री पुत्री उमा पुत्री गणेशाराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु ।

15– बाबुलाल पुत्र शान्ती पुत्री उमा पुत्री गणेशाराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु ।

16– दीपाराम पुत्र शान्ती पुत्री उमा पुत्री गणेशाराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु ।

17– लीलाधर पुत्र शान्ती पुत्री उमा पुत्री गणेशाराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु।

18– राकेश पुत्र शान्ती पुत्री उमा पुत्री गणेशाराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु ।

19– विमला पुत्री चेतराम पुत्र गोरूराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु।

20– परमा पुत्री चेतराम पुत्र गोरूराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु।

21– चावली पुत्री चेतराम पुत्र गोरूराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु।

22– भंवरी पत्नी गोरूराम पुत्र चेतराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु ।

23– आईना नाबालिग पुत्री गोरूराम जरिये कुदरती बली माता भंवरी पत्नी गोरूराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु।

24– कलावती पुत्री गोरूराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु ।

25– खिवणी पुत्री रूकमा पुत्री मलुराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु ।

26– रामरख पति भंवरी पुत्री रामेश्वर जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु ।

27– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:37:24 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :– श्री [illegible] द्वारा अधिवक्ता **वादी**

[illegible]राज

निर्णय दिनांक: 17/9/2024

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 115/109 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 7.0567 है0 भूमि में मृतक चेतराम पुत्र गणेशाराम का 199981/423402 हिस्सा, मृतक जैसाराम पुत्र गणेशाराम का 19981/423402 हिस्सा, मृतक मलूराम पुत्र गणेशाराम का 19981/423402 हिस्सा, मृतक रामेश्वरलाल पुत्र गणेशाराम का 19981/423402 हिस्सा, बनवारीलाल पुत्र गणेशाराम 19981/423402 हिस्सा, भागाराम पुत्र गणेशाराम का 19981/423402 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। चेतराम पुत्र गणेशाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके स्वर्गवास के बाद प्रतिवादी संख्या 6, 19 ता 21 व मृतक गोरूराम हुए गोरूराम पुत्र चेतराम के वारिस प्रतिवादी संख्या 7, 8, 22 ता 24 है व मलुराम पुत्र गणेशाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस वादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 1 व 25 है व रामेश्वरलाल पुत्र गणेशाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस वादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 2, 3 व मृतका भंवरी देवी हुए जिनमें भंवरी देवी पुत्री रामेश्वरलाल का स्वर्गवास हो चुका है जिसका वारिस प्रतिवादी संख्या 26 है व उमा पुत्री गणेशाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 9 ता 14 व मृतका शांति हुए शांति पुत्री उमा के स्वर्गवास के बाद वारिस प्रतिवादी संख्या 15 ता 18 है। प्रतिवादीया संख्या 9 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयों व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुके है तथा प्रतिवादी संख्या 10 ता 14 एवं 15 ता 18 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने मामा व उनके वारिसो तथा नानी के भाईयों के पक्ष में परियाग कर चुके है तथा प्रतिवादी संख्या 19 ता 21 उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना हक हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुके है तथा प्रतिवादी संख्या 22 ता 24 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना हक हिस्सा अपने पुत्रो/भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुके है तथा प्रतिवादीया संख्या 25 ने अपना हक हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 26 ने अपना हक हिस्सा अपनी पत्नी के भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 9 ता 26 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 115/109 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 7.0567 है0 भूमि मृतक जैसाराम पुत्र गणेशाराम के नाम दर्ज 19981/423402 हिस्सा भूमि में से 1/5 हिस्सा पर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ब0 हि0 ब0 काबिज है व 1/5 हिस्सा पर वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ब0 हि0 ब0 काबिज है व 1/5 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 काबिज है व 1/5 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 5 काबिज है व 1/10 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 6 काबिज है व 1/10 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा मृतक चेतराम पुत्र गणेशाराम के नाम दर्ज 19981/423402 हिस्सा भूमि में से 1/2 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 6 काबिज है व शेष 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा मृतक मलुराम पुत्र गणेशाराम के नाम दर्ज 19981/423402 हिस्सा भूमि में से वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा मृतक रामेश्वरलाल पुत्र गणेशाराम के नाम दर्ज 19981/423402 हिस्सा भूमि में से वादी संख्या 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:37:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 26 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 26 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 27 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादीगण ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र रामेश्वरलाल, जेठी, भंवरी देवी, मलुराम, सजना, चेतराम, गोरूराम, रेशमा, सोहनलाल, वारिसान प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगणन ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में मृतक चेतराम पुत्र गणेशाराम, मृतक जैसाराम पुत्र गणेशाराम, मृतक मलूराम पुत्र गणेशाराम, मृतक रामेश्वरलाल पुत्र गणेशाराम, बनवारीलाल पुत्र गणेशाराम, भागाराम पुत्र गणेशाराम के नाम दर्ज है। उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। चेतराम पुत्र गणेशाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके स्वर्गवास के बाद प्रतिवादी संख्या 6, 19 ता 21 व मृतक गोरूराम हुए गोरूराम पुत्र चेतराम के वारिस प्रतिवादी संख्या 7, 8, 22 ता 24 है व मलुराम पुत्र गणेशाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस वादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 1 व 25 है व रामेश्वरलाल पुत्र गणेशाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस वादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 2, 3 व मृतका भंवरी देवी हुए जिनमें भंवरी देवी पुत्री रामेश्वरलाल का स्वर्गवास हो चुका है जिसका वारिस प्रतिवादी संख्या 26 है व उमा पुत्री गणेशाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 9 ता 14 व मृतका शांति हुए शांति पुत्री उमा के स्वर्गवास के बाद वारिस प्रतिवादी संख्या 15 ता 18 है। प्रतिवादीया संख्या 9 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयों व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 10 ता 14 एवं 15 ता 18 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने मामा व उनकें वारिसो तथा नानी के भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुके है तथा प्रतिवादी संख्या 19 ता 21 उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना हक हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुके है तथा प्रतिवादी संख्या 22 ता 24 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना हक हिस्सा अपने पुत्रो/भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुके है तथा प्रतिवादीया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:37:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 25 ने अपना हक हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 26 ने अपना हक हिस्सा अपनी पत्नी के भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 9 ता 26 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 115/109 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 7.0567 है0 भूमि में मृतक चेतराम पुत्र गणेशाराम का 199981/423402 हिस्सा, मृतक जैसाराम पुत्र गणेशाराम का 19981/423402 हिस्सा, मृतक मलूराम पुत्र गणेशाराम का 19981/423402 हिस्सा, मृतक रामेश्वरलाल पुत्र गणेशाराम का 19981/423402 हिस्सा, बनवारीलाल पुत्र गणेशाराम 19981/423402 हिस्सा, भागाराम पुत्र गणेशाराम का 19981/423402 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। चेतराम पुत्र गणेशाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके स्वर्गवास के बाद प्रतिवादी संख्या 6, 19 ता 21 व मृतक गोरूराम हुए गोरूराम पुत्र चेतराम के वारिस प्रतिवादी संख्या 7, 8, 22 ता 24 है व मलुराम पुत्र गणेशाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस वादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 1 व 25 है व रामेश्वरलाल पुत्र गणेशाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस वादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 2, 3 व मृतका भंवरी देवी हुए जिनमें भंवरी देवी पुत्री रामेश्वरलाल का स्वर्गवास हो चुका है जिसका वारिस प्रतिवादी संख्या 26 है व उमा पुत्री गणेशाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 9 ता 14 व मृतका शांति हुए शांति पुत्री उमा के स्वर्गवास के बाद वारिस प्रतिवादी संख्या 15 ता 18 है। प्रतिवादीया संख्या 9 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयों व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुके है तथा प्रतिवादी संख्या 10 ता 14 एवं 15 ता 18 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने मामा व उनके वारिसो तथा नानी के भाईयों के पक्ष में परियाग कर चुके है तथा प्रतिवादी संख्या 19 ता 21 उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना हक हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुके है तथा प्रतिवादी संख्या 22 ता 24 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना हक हिस्सा अपने पुत्रो/भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुके है तथा प्रतिवादीया संख्या 25 ने अपना हक हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 26 ने अपना हक हिस्सा अपनी पत्नी के भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 9 ता 26 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है, वादीगण के उक्त [illegible] स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री [illegible] जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 को कोई एतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिसनामा के [illegible] जैसाराम, मलुराम, चेतराम उमा, रूकमा, भंवरी, गौरूराम, सोहनलाल, शान्ति के अन्य कोई वारि[illegible] नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:37:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 115/109 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 7.0567 है0 भूमि में से 19981/423402 हिस्सा भूमि में मृतक जैसाराम पुत्र गनेशाराम का नाम कलमजन किया जाकर 1/5 हिस्सा भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/5 हिस्सा भूमि वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/5 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/10 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/10 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 19981/423402 हिस्सा भूमि में मृतक चेतराम पुत्र गनेशाराम का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित तथा 19981/423402 हिस्सा भूमि में मृतक मलुराम पुत्र गनेशाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकारं घोषित किया जाता है तथा 19981/423402 हिस्सा भूमि में मृतक रामेश्वरलाल पुत्र गणेशाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के नाम पूर्व में दर्ज भुमि में पता निमला की बजाये शेखचुलिया दर्ज किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/9/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:37:24 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा - डिग्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 893 / 2024

अनवान : –

1– सोहनलाल पुत्र किशन लाल जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु।
2– हेतराम पुत्र रामेश्वर लाल जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु।

—— वादीगण

बनाम

1– आत्माराम पुत्र किशन लाल जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु ।
2– धर्मपाल पुत्र रामेश्वर लाल जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु।
3– ओमद पुत्र रामेश्वर जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु ।
4– बनवारीलाल पुत्र गणेशाराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु ।
5– भागाराम पुत्र गणेशाराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु।
6– जगदीश पुत्र चेत राम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ़।
7– बालाराम पुत्र गोरूराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ़।
8– पालाराम पुत्र गोरूराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ़।
9– राजोदेवी पुत्री गणेशाराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु ।
10– रामरतन पुत्र उमा पुत्री गणेशाराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु ।
11– भैराराम पुत्र उमा पुत्री गणेशाराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु ।
12– सोहनलाल पुत्र उमा पुत्री गणेशाराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु।
13– रामस्वरूप पुत्र उमा पुत्री गणेशाराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु।
14– सावत्री पुत्री उमा पुत्री गणेशाराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु ।
15– बाबुलाल पुत्र शान्ती पुत्री उमा पुत्री गणेशाराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु ।
16– दीपाराम पुत्र शान्ती पुत्री उमा पुत्री गणेशाराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु ।
17– लीलाधर पुत्र शान्ती पुत्री उमा पुत्री गणेशाराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु।
18– राकेश पुत्र शान्ती पुत्री उमा पुत्री गणेशाराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु ।
19– विमला पुत्री चेतराम पुत्र गोरूराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु।
20– परमा पुत्री चेतराम पुत्र गोरूराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु।
21– चावली पुत्री चेतराम पुत्र गोरूराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु।
22– भंवरी पत्नी गोरूराम पुत्र चेतराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु ।
23– आईना नाबालिग पुत्री गोरूराम जरिये कुदरती बली माता भंवरी पत्नी गोरूराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु।
24– कलावती पुत्री गोरूराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु ।
25– खिवणी पुत्री रूकमा पुत्री मलुराम जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु ।
26– रामरख पति भंवरी पुत्री रामेश्वर जाति नायक निवासी शेखचूलिया तहसील पल्लु ।
27– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

—— प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:37:24 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :– श्री [illegible] द्वारा अधिवक्ता **वादी**
[illegible] राज

निर्णय दिनांकः 17/9/2024

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 115/109 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 7.0567 है0 भूमि में से 19981/423402 हिस्सा भूमि में मृतक जैसाराम पुत्र गनेशाराम का नाम कलमजन किया जाकर 1/5 हिस्सा भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/5 हिस्सा भूमि वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/5 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/10 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/10 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 19981/423402 हिस्सा भूमि में मृतक चेतराम पुत्र गनेशाराम का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं व शेष 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित तथा 19981/423402 हिस्सा भूमि में मृतक मलुराम पुत्र गनेशाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 19981/423402 हिस्सा भूमि में मृतक रामेश्वरलाल पुत्र गणेशाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के नाम पूर्व में दर्ज भुमि में पता निमला की बजाये शेखचुलिया दर्ज किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/9/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:37:24 IST
Reason: SelfAttested